संख्या-1/2021/45/चौरासी-1-2021-89/2017

प्रेषक,

सन्तोष कुमार सक्सेना
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उ0 प्र0, लखनऊ ।

उपभोक्ताप संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-। लखनऊ: दिनॉक फरवरी, 2021

विषय:- सिंगल विण्डो पोर्टल ' निवेश मित्र ' पर उपलब्ध करायी गयी ऑनलाईन सेवाओं में ऑफलाईन आवेदन / प्रोसेसिंग को कडाई से प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक औद्योगिक विकास अनुभाग-6 के पत्र संख्या- 3914/77-6-20-08 (एम)/2012 टी.सी. 8 (कैबिनेट), दिनांक 11 दिसम्बर, 2020के अनुक्रम में नियंत्रक के पत्र संख्याग 15निविमावि-अधि-1 (निवेश मित्र)/21 दिनांक 15 जनवरी,2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना जिसमें विधिक माप विज्ञान विभाग की निम्न 08 सेवाओं को निवेश मित्र पोर्टल से समेकित करते हुए ऑनलाईन प्रदान की जा रही है:-

1- बांट-माप के निर्माण हेतु विनिर्माता अनुज्ञा पत्र निर्गमन ।
Issue of license to the manufacturer of weights & measures.

2- बांट- माप के उपकरणों के विक्रय हेतु व्यवहारी अनुज्ञा पत्र निर्गमन।
Issue of license to the Dealer of weights & measures.

3- बांट-माप के मरम्मपत हेतु मरम्मतकर्ता अनुज्ञा पत्र निर्गमन।
Issue of license to the Repairer of weights & measures.

4- बांट माप विनिर्माता अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण।
Renewal of license of the manufacturer of weights & measures.

5- बांट माप व्यवहारी अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण।
Renewal of license of the Dealer of weights & measures.

6- बांट माप मरम्मतकर्ता अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण।
Renewal of license of the Repairer of weights & measures.

7- डिब्बा बन्द वस्तुओं के निर्माता/ पैकर के नाम व पते का पंजीयन।
Registration of name and address of manufacturer/Packer of packaged Commodities.

8- कम्पपनियों के निदेशक नामित किया जाना।
Nomination of Directors.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. उक्त के संबंध में दिनांक 14 सितम्बंर, 2020 को सम्पान्न हुई बैठक में लिए गये निर्णयानुसार जो सेवायें ऑनलाईन उपलब्ध करा दी गयी हैं अथवा भविष्य में उपलब्ध हो जाती हैं उनके लिए ऑफलाईन आवेदन लिया जाना बिना किसी अपवाद के पूर्णत: प्रतिबन्धित होगा और यदि कोई विभागीय अधिकारी ऑफलाईन आवेदन पत्र स्वीकार करता है तो उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

3. प्रदेश में ईज ऑफ डूईंग बिजनेस में उत्तरोत्तर सुधार लाने हेतु प्रदेश सरकार इस बात के लिए बचनबद्ध है कि अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाईन उपलब्ध कराया जाय और उपलब्ध करायी गयी ऑनलाईन सेवाओं के लिए किसी भी दशा में न तो ऑफलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाए और न ही ऑनलाईन आवेदन करने वाले आवेदकों से अभिलेखों की हार्ड कापी देने अथवा उनसे कार्यालय में सम्पर्क करने हेतु बुलाया जाए।

4. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जो भी सेवायें ऑनलाईन उपलब्ध करा दी जाती हैं उनके स्टेबिलाइजेशन के लिए अधिकतम 03 माह का समय प्रदान किया जाए और 03 माह की अवधि बीतने के बाद किसी भी दशा में न तो कोई ऑफलाईन आवेदन पत्र प्राप्त न किया जायेगा और न ही ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों की प्रोसेसिंग के लिए आवेदकों को हार्ड कापी देने के लिए बाध्य किया जायेगा और न ही उन्हें किसी भी अन्य कारण से कार्यालय में बुलाया जायेगा। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कठोर विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों के क्रम में जारी किये गये अपने विभागीय शासनादेश की प्रति इन्वेस्ट यूपी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

सन्तोष कुमार सक्सेना
विशेष सचिव।

संख्या-1/2021/45/चौरासी-1-2021- 89/2017

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितर:-

1- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
2- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी द्वारा नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग।
3- समस्त मण्डयलायुक्त,उ0प्र0 द्वारा नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग।
4- समस्ता जिलाधिकारी,उ0प्र0 द्वारा नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग।
5- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(प्रेमेन्द्र कुमार गुप्त)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in